प्रेस नोट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य 27.04.2025

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा शाहजहाँपुर बस अड्डे से चोरी हुए बैग व 02 जोडी पायल सफेद धातु, 01 अदद नथ पीली धातु , 5000 रूपये नगद सहित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में तथ प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम मे थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण - :

दिनांक 23.04.2025 को थाना सदर बाजार पर वादी प्रद्युमन पुत्र धर्मेश कुमार निवासी ग्राम पिपरी थाना बेहटा गोकुल जिला हरदोई अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बस से पीलीभीत जा रहा था तभी शाहजहाँपुर रोडवेज बस स्टैण्ड पर खड़ी बस मे उसकी पत्नी के बगल मे रखे बैग जिसमे पत्नी व बच्चों के कपड़े व सोने व चांदी के गहनों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बस की डिग्गी मे ऱखने का झांसा देकर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 227/2025 धारा 303(2),318(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार के सुपुर्द की गयी थी।

आज दिनांक 27.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार , अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के निर्देशन मे थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में घटना कारित करने वाले प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.रवि पुत्र श्यामपाल निवासी बडी हरदेनी पहाडीपुर भोपत थाना खुदागंज जनपद शाहजहांपुर उम्र 20 वर्ष , 2. राहुल पुत्र रामशरण निवासी बड़ी हरदेनी पहाडीपुर भोपत थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर मे से अभियुक्त रवि पुत्र श्यामपाल निवासी बडी हरदेनी पहाडीपुर भोपत थाना खुदागंज जनपद शाहजहांपुर को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 07.27 बजे एनसीसी तिराहे के पास खंडहर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गये सामान मे से दो जोडी पायल सफेद धातु, एक अदद नथ पीली धातु व 5000 रूपये नगद अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया तथा दूसरा व्यक्ति जंगल का फायदा उठाकर भागने मे सफल रहा। दूसरे व्यक्ति के संबध मे पकडे गये व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि वह राहुल पुत्र रामशरण निवासी बड़ी हरदेनी पहाडीपुर भोपत थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर था। वादी मुकदमा प्रद्युमन पुत्र धम्रेश कुमार को बरामदगी स्थल पर बुलाकर बरामद माल व अभियुक्त की शिनाख्त करायी गयी तो वादी की पत्नी ने माल व मुल्जिमान को देखते ही पहचान लिया । चोरी गये सामान की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोतरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

रवि पुत्र श्यामपाल निवासी बडी हरदेनी पहाडीपुर भोपत थाना खुदागंज जनपद शाहजहांपुर उम्र 20 वर्ष।

फरार अभियुक्त :-

राहुल पुत्र रामशरण निवासी बड़ी हरदेनी पहाडीपुर भोपत थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

दिनांक 27.04.2025 को समय करीब 07.27 बजे एनसीसी तिराहे के पास खंडहर के पास से

बरामदगी का विवरण:-

1. दो जोडी पायल सफेद धातु
2. एक अदद नथ पीली धातु
3. 5000 रूपये नगद

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 प्रमोद प्रसाद, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 रणजीत बहादुर सिंह
3. का0 2531 शुभम पूनिया
4. का0 2070 मोनू कुमार
5. का0 2686 मनीष कुमार

गिरफ्तारी पूछताछ अभियुक्त :-

बरामद जेवर व पैसों के बारे में अभियुक्त को विश्वास मे लेकर पूछा गया तो अपने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि साहब मैं और मेरा दोस्त राहुल पुत्र रामशरण निवासी बडी हरदेनी पहाडीपुर भोपत थाना खुदागंज शाहजहांपुर जो मौके से भागा था, नशे के आदी हैं, कई दिनों से दिहाडी नही लगी थी हम दोनो को नशा करना था इसलिये पैसा की आवश्यकता थी इस कारण हम दोनो ने दिनांक 18.04.2025 को धोखाधडी करके चोरी करने का मन बना लिया था। दिनांक 18.04.2025 को रोडवेज बस अड्डे पर आये और खडी बस में मैं घुस गया तथा राहुल बस के नीचे खडा था व एक सीट पर बैठी महिला जिसने अपना बैग सीट पर ही रख ऱखा था उसको बैग बस की डिग्गी मे रखने का झूंठा झांसा देकर चोरी कर लिया था तथा बैग लेकर मैं और राहुल मौके से फरार हो गये। साहब आज ये जेवरात हम बेचने के लिये आये थे तभी आपने मुझे पकड लिया बाकी जेवरात और पैसे मेरे साथी राहुल पुत्र रामशरण निवासी बडी हरदेनी पहाडीपुर भोपत थाना खुदागंज शाहजहांपुर के पास है जिनके बारे मे उसे ही जानकारी है ,जो मौके से फरार हो गया था। यह भी बताया कि जो पैसे मुझसे बरामद हुये हैं ये वहीं पैसे हैं जो कुछ जेवरात बेचकर मेरे साथी राहुल ने मुझे दिये थे।